

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश



राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017(NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR- DATED 30-10-2017& 09-12-2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता हिन्दी को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 8 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	नाम वय पदस्थापन स्थान (राजमाहि/बाउमाहि)	जन्मतिथि	सेवा में नियुक्ति तिथि/पद	पद पर कार्यग्रहण तिथि	पद पर नियमित नियुक्ति तिथि	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	एसीपी स्वीकृति तिथि	PAY MATRIX LEVER NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajesh Kumar Goyal, Lecturer Hindi Govt. Senior Secondary School Gandhi Chowk Amber (213090) District Jaipur	02/10/1968	18/01/1992	28-08-2015	DPC 15-16	30 वर्ष	18/01/2022	L-13
2	Shri. Jaswaroop, Lecturer Hindi Govt. Senior Secondary School Bherunda (219453) District Nagaur	03/07/1970	12/01/1991	28-03-2016	DPC 15-16	30 वर्ष	01/07/2021	L-13

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

बीकानेर

दिनांक :- 20.06.22

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एसीपी/बो-3/2022/775

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01- संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा

02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

03- सिस्टम एनालिस्ट(सयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु

04- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक

05- मिजी एवं रक्षित प्रतिलिपि

[Signature]

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर